

मै0 जे.के. सीमेन्ट लि0 कोटा

...अपीलार्थी

बनाम

1. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, कोटा
2. अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर

...प्रत्यर्थीगण

रजिस्ट्री

श्री नत्थूराम, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पारस पाटनी

अभिभाषक

...अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा

उप राजकीय अभिभाषक

...प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 08.01.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 09.09.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, कोटा (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 27 व 55 के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 के लिए पारित आदेश दिनांक 11.02.2015 के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारण आदेश दिनांक 11.02.2015 को पारित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त निर्धारण जांच कर, यह पाया कि अपीलार्थी-व्यवहारी को राजस्थान विक्रय कर प्रोत्साहन योजना, 1998 (जिसे आगे "प्रोत्साहन योजना" कहा जायेगा) के तहत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "विक्रय कर अधिनियम" कहा जायेगा) व केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम" कहा जायेगा) में स्वीकृत कर मुक्ति लाभ में से राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(63) एफडी/टैक्स/2005-171 दिनांक 31.03.2006 के तहत आस्थगन योजना के तहत अपीलार्थी द्वारा विकल्प चाहने पर इस संबंध में दिनांक 01.04.2006 से दिनांक 20.01.2011 तक के लिए कर का आस्थगन लाभ उक्त अधिसूचना के तहत



2/11

लगातार.....2

स्वीकृत किया गया। फलस्वरूप, अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि में अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्गत टैक्स (Output Tax) पर आस्थगन का लाभ आलौच्य निर्धारण अवधि में लिया गया परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने अधिसूचना दिनांक 31.03.2006 के बिन्दु संख्या-4 व अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के आलोक में, चाहे गये आस्थगन लाभ रुपये 21,29,848/- को अस्वीकार कर, निर्धारण आदेश पारित किया गया। रिकार्ड की जांच में कर निर्धारण अधिकारी ने यह भी पाया कि व्यवहारी ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2003 (जिसे आगे "योजना-2003" कहा जायेगा) के तहत देय ब्याज अनुदान राशि राजकोष में जमा होने की तिथि से पूर्व ही देय वैट पेटे समायोजन क्लेम किया है, इसलिए राजकोष में वैट जमा तिथि तक का वैट अधिनियम की धारा 55 के तहत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज आरोपित किया गया। उक्त कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा योजना-2003 के तहत क्लॉज-10 के Note में वर्णित अनुसार सब्सिडी रिलीज ऑर्डर से 30 दिवस में भुगतान नहीं होने पर देय ब्याज 5 प्रतिशत वार्षिक रुपये 8,02,518/- स्वीकृत नहीं करने व नियमित कर देरी से जमा पर ब्याज रुपये 4,11,771/-, व रुपये 31,962/- के विरुद्ध यह अपील अपीलार्थी-व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय 09.09.15 द्वारा आस्थगन योजना में लाभ व सब्सिडी तथा ब्याज आरोपण के बिन्दु पर अपील अस्वीकार की है व विलम्बित सब्सिडी पर ब्याज के बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जिसके विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हुई हैं।

3. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

4. व्यवहारी ईकाई की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि निर्धारण अधिकारी ने आस्थगन राशि के लाभ में अविधिक रूप से आगत कर (Input Tax Credit) राशि को Output Tax में से कम कर, गणना की गयी है जो विधिसम्मत नहीं है। कथन किया कि आगत की मुजरा राशि अग्रिम कर के समान है एवं आगत कर संदाय की गणना कुल पण्यवर्त पर करने के पश्चात ही देय है। अपने कथन के समर्थन में अधिनियम की धारा 4(1) व 17 के विशिष्ट प्रावधानों की ओर ध्यानाकर्षित कर, अपीलार्थी-व्यवहारी ईकाई द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया कि Tax payable का अर्थ Output Tax के बराबर माना जाये।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी-व्यवहारी को योजना-2003 के तहत Capital Investment Subsidy (Interest Component) का





लगातार.....3

लाभ भी स्वीकृत है। अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि में देय लाभ कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश जारी किये जाने के माह में देय कर पेटे समायोजन क्लेम किया गया था, लेकिन वास्तव में देय लाभ माह मार्च, 2008 में राजकोष में आहरित होकर जमा हुआ। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने राजकोष में जमा होने की तिथि तक कर देरी से जमा मानकर ब्याज रूपये 8,02,518/- आरोपित किया है, जो कि विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। उनका तर्क है कि योजना-2003 के तहत देय लाभ का स्वीकृति आदेश जारी होने के माह में ही व्यवहारी द्वारा देय कर के विरुद्ध समायोजन लिया गया है, इसलिए ब्याज की देयता नहीं बनती है। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि योजना-2003 के क्लॉज-10 के अनुसार सब्सिडी रिलीज ऑर्डर से 30 दिवस में पूंजीगत निवेश सब्सिडी का भुगतान नहीं होने पर निवेशक को 5 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देय है। यह ब्याज भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, अतः उक्त बिन्दु पर भी अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया। इसी प्रकार देय कर को राजकोष में देरी से जमा नहीं होना अवधारित कर निर्धारित ब्याज की मांग राशियों को अपास्त करने का निवेदन किया गया।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने अपीलीय एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश विधिसम्मत बताते हुये अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

6. हमने बहस पर मनन किया व रिकॉर्ड का परिशीलन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

7. प्रकरण में विधिक विवाद का प्रथम बिन्दु यह है कि आस्थगन योजना में प्राप्त लाभ की गणना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा Tax payable राशि की गणना Output Tax-Input Tax-Net Tax payable के अनुसार की गयी है जबकि अपीलार्थी की ओर से यह चाहा गया है कि उनके Output Tax को ही Tax Payable मानते हुए उसकी गणना की जानी चाहिए।

उक्त विधिक विवाद पर चूंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका है एवं अधिनियम की धारा 17 पर पूर्ण स्पष्ट विवेचन करते हुए यह निर्णित किया गया है कि Tax Payable अर्थात Net Tax Payable ही होगा। ऐसी स्थिति में, अन्य किसी प्रकार की विवेचना एवं व्याख्या की आवश्यकता नहीं रहती है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स उमा पोलीमर्स लि0, बनाम् राजस्थान राज्य व अन्य क्रमशः एस.बी. सिविल रिट पिटीशन क्रमांक 6903/2009 व 10230/2009 के प्रकरणों में निर्णय दिनांक 24.11.2011

!

em

लगातार.....4

पारित कर, कर संदाय (Tax Payable) के संबंध में उठाये गये बिन्दुओं पर उत्पन्न विवादों का निस्तारण कर, निर्णय के पैरा-9 में निम्न प्रकार विधि प्रतिपादित की गयी है, जो इस प्रकार है :-

“.....The Contention of the Learned counsel for the assessee, though attractive is devoid of any merit and substance because it is hypothetical figure to construe 'tax payable' as the gross tax liability' or 'output tax' as defined in Section 2(24) of the VAT Act, 2003 which means the tax charged or chargeable under this Act by a registered dealer in respect of the sale of goods in the course of his business. Section 17 of the Act with heading "Tax payable by a dealer" on the other hand clearly provides that tax payable by dealer is only after reducing input tax and letter "T" which defines net tax payable is $O [(output\ tax) + R(reverse\ tax) + P (tax\ payable\ under\ section\ 4(2))] - 1 (Input\ tax)$. Therefor, the 'tax payable' under the Rajasthan VAT Act, 2003 is nothing but net tax payable' by the assessee or manufacturer as per section 17 of the Act

इस प्रकार, उपर्युक्त वर्णित निर्णय दिनांक 24.11.2011 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कर संदाय (Tax payable) की गयी व्याख्या के प्रकाश में शुद्ध कर (NET TAX) ही कर संदाय (Tax payable) योग्य है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कर संदाय (Tax payable) की गयी व्याख्या के प्रकाश में, निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त बिन्दु पर पारित आदेश दिनांक 11.02.2015 पूर्णतः विधिसम्मत एवं उचित है जिसे अपीलीय अधिकारी ने यथावत रखने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

8. प्रकरण में दूसरा बिन्दु ब्याज की राशि के संबंध में है। अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा यह चाहा गया है कि RIPS योजना में अपीलार्थी को सब्सिडी के रूप में जमा राशि का समायोजन उसी दिन से दिया जाना है जब वह लाभ का हकदार था जबकि यह समायोजन सब्सिडी राशि के आदेश के बाद राजकोष में जमा होने की दिनांक से दिया गया है एवं दूसरा बिन्दु वैकल्पिक रूप से यह भी दिया कि सब्सिडी आदेश के एक माह के बाद राशि जारी होने पर ब्याज दिया जाये। अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्वयं की माननीय कर बोर्ड के निर्णय 35 टैक्स अपडेट 8 प्रस्तुत किया है जिसमें समायोजन राजकोष में वास्तविक जमा दिवस से ही दिया जाना विधिक माना गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वास्तविक राशि के जमा होने में देरी पर आरोपित ब्याज विधिसम्मत है। यह तर्क स्वीकार योग्य है कि सब्सिडी रिलिज के आदेश के बाद भुगतान यदि 30 दिवस के बाद किया गया है तो उसे ब्याज देय होगा। इस हेतु प्रार्थना पत्र निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अपीलीय अधिकारी ने आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत है।

2m

लगातार.....5

9. जहां तक देय कर देरी से जमा होने के कारण निर्धारित ब्याज राशियों का प्रश्न है इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स हाजी लाल मोहम्मद बीड़ी वर्क्स बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. 32 एस.टी. सी. 496 में सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि ब्याज "ऑटोमेटिक" है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार की सुनवाई हेतु मौका दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। अपीलीय अधिकारी ने आरोपित ब्याज को यथावत रखा है जो विधिसम्मत है।
10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलीय अधिकारी ने विधिसम्मत आदेश पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अपील स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है।
11. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य